महत्वपूर्ण

संख्या-4/ 1768/ चौदह-3-14-700(194)/ 2012

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त , 2014

विषय:- भर्ती/ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध पर शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ई0[illegible]0-110/ 10-46-5-(जनो0), दिनांक 25.08.2014 का कपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपके द्वारा समूह 'ग' के समस्त पदों पर भर्ती के संबंध में चयन की कार्यवाही उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से काये जाने पर विचार करने एवं शासकीय पत्र संख्या-1316/ चौदह-3-14-700(194)/ 2012, दिनांक 07.07.2014 के क्रम में प्रारम्भ की गयी विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्यवाही को स्थगित/ निरस्त किये जाने पर विचार करते हुए अग्रतर कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्गत, शासनादेश संख्या-1316/ चौदह-3-14-700(194)/ 2012, दिनांक 07.07.2014 को निरस्त करते हुए समूह 'ग' के समस्त पदों पर भर्ती के संबंध में च[redacted] कार्यवाही उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराये जाने [redacted] लिया गया है। अतएव कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार पाण्डये)
उप सचिव।

अति आवश्यक/सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः— ई०-८१८/20–1–8(जनो०), लखनऊ : दिनांक : 31 अगस्त, 2014 ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०।
4. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ०प्र०।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ०प्र०।

विषय :— वन विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की परिधि के बाहर के समूह–'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— शासकीय पत्र संख्या–1314/चौदह–3–13–700(194)/2012 दिनांक 23.06.2014, संख्या–1315/चौदह–3–13–700(194)/2012 दिनांक 24.06.2014, संख्या–1316/चौदह–3–13–700(194)/2012 दिनांक 07.07.2014, इस कार्यालय का पत्रांक–ई–45/20–1–8(जनो०), दिनांक 09.07.2014 एवं शासकीय पत्र संख्या–1768/चौदह–3–14–700(194)/2012 दिनांक 31.08.2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कमशः उक्त शासकीय पत्र दिनांक 23.06.2014, दिनांक 24.06.2014 तथा दिनांक 07.07.2014 के कम में इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र संख्या–ई–45/20–1–8(जनो०), दिनांक 09.07.2014 द्वारा समूह–'ग' (वन रक्षक, वन्यजीव रक्षक, वन दरोगा, मानचित्रकार, सर्वेयर, प्रयोगशाला सहायक, शोध सहायक एवं उर्दू अनुवादक) के कुल 1427 पदों को भरे जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासकीय पत्र सं० -1768/चौदह–3-14-700(194)/2012 दिनांक 31.08.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1316/चौदह-3–13–700(194)/2012, दिनांक 07.07.2014 को निरस्त करते हुए समूह–'ग' के समस्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में चयन की कार्यवाही उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः शासन के उक्त आदेश के कम में अवगत कराना है कि विभाग स्तर से समूह-'ग' के उक्त पदों पर भर्ती से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही तत्काल निरस्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तुरन्त इस कार्यालय को ई–मेल/फैक्स से उपलब्ध कराएं। सम्बन्धित समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक अपने स्तर से भी उक्त आदेशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से उक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन की कार्यवाही अलग से की जाएगी।

प्राप्त 03/09/14

website पर डालें। APCCF (I.T.)

भवदीय,

(जे०एस० अस्थाना)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पत्र संख्या ____ /समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, वन अनुभाग–3, उ०प्र० शासन, लखनऊ को उनके पत्रांक–1768/चौदह–3–14–700(194)/2012, दिनांक 31.08.2014 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जे०एस० अस्थाना)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।